रजिस्ट्री सं० डी-222

REGISTERED NO. D-222

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 46] नई दिल्ली, शनिवार, नवम्बर 16, 1968 (कार्तिक 25, 1890)

No. 46] NEW DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 16, 1968 (KARTIKA 25, 1890)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

नोटिस

NOTICE

नीचे लिखे भारत के असाधारण राजपत्र 19 अक्तूबर 1968 तक प्रकाशित किए गये हैं :—

The undermentioned *Gazettes of India Extraordinary* were published up to the 19th October 1968 :—

अंक Issue No.	संख्या और तारीख No. and Date	द्वारा जारी किया गया Issued by	विषय Subject
1	2	3	4
193	No. 219-ITC(PN)/68 dated the 9th Oct. 1968	Min. of Commerce	Import Policy for Registered Exporters for the year April 1968-March 1969.
194	No. 220-ITC(PN)/68 dated 10th Oct. 1968.	Do.	Import of Printing machinery falling under S. No. 67(1) (i)/V during April 1968-March 1969 period.
195	No. 221-ITC(PN)/68 dated the 11th Oct. 1968.	Do.	Import of 'Dates' (S. No. 21(b)/IV) from Iraq during Oct. 1968, September, 1969, licensing period on annual basis.
	No. 222-ITC(PN)/68 dated the 11th Oct. 1968.	Do.	Import policy for Registered Exporters for the year April 1968-March, 1969.
	No. 223-ITC(PN)/68 dated the 11th Oct. 1968.	Do.	Import policy for Registered Exporters for the year April 1968-March, 1969.
	No. 224-ITC(PN)/68 date the 11th Oct. 1968.	Do.	Import of raw materials, components and spares to S.S.I. Units manufacturing Radio receivers, transistor Radio Receivers, amplifiers, car-Radios and microphones—April 1968-March 1969 period.
196	No. 225-ITC(PN)/68 dated the 15th Oct. 1968.	Do.	Import policy for the period April 1968-March 1969.
197	No. 226-ITC(PN)/68 dated the 16th Oct. 1968.	Do.	Import policy for Registered Exporters for the year April 1968-March 1969.
	No. 227-ITC(PN)/68 dated the 16th Oct. 1968.	Do.	Import policy for Registered Exporters for the period April 1968-March-1969-Licensing of items thereunder on the basis of an Actual User Licence.

1	2	3	4
198	No. 228-ITC(PN)/68 dated the 17th Oct. 1968.	Ministry of Commerce	Imports of printing machinery falling under S. No. 67(1) (i)/V 1969 period.
199	No. PN(U.K. Licensing)/1 of 1968. dated the 18th Oct. 1968	Do.	Scheme for the Licencing of cotton yarn and cotton textiles for export to the U.K. during the Licensing year 1968.
200	No. PN(U.K. Licensing)/2 of 1968 dated the 19th Oct. 1968.	Do.	Scheme for the licensing of Cotton yarn and cotton textiles for export to the U.K. during the licensing year Dec. 1968-Nov. 1969.
201	No. 229-ITC(PN)/68 dated the 19th Oct. 1968.	Do.	Import policy for the Registered Exporters for the year April 1968-March 1969.
	No. 230-ITC(PN)/68 dated the 19th Oct. 1968.	Do.	Import policy for Registered Exporters for the year April 1968-March 1969.
	No. 231-ITC(PN)/68 dated the 19th Oct. 1968.	Do.	Import Policy for Registered Exporters for the year April 1968-March 1969.
	No. 232-ITC(PN)/68 dated the 19th Oct. 1968.	Do.	Do.

ऊपर लिखे असाधारण राजपत्रों की प्रतियां प्रकाशन प्रबन्धक, सिविल लाइन्स, दिल्ली के नाम मांग-पत्र भेजने पर भेज दी जाएंगी। मांग-पत्र प्रबन्धक के पास इन राजपत्रों के जारी होने की तारीख से दस दिन के भीतर पहुंच जाने चाहिए।

Copies of the *Gazettes Extraordinary* mentioned above will be supplied on Indent to the Manager of Publications, Civil Lines, Delhi. Indents should be submitted so as to reach the Manager within ten days of the date of issue of these *Gazettes*.

विषय-सूची (CONTENTS)

	पृष्ठ
भाग I—खंड 1.—(रक्षा मन्त्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मन्त्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं ..	755
भाग I—खंड 2.—(रक्षा मन्त्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मन्त्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं ..	1285
भाग I—खंड 3.—रक्षा मन्त्रालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं ..	—
भाग I—खंड 4.—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	1051
भाग II—खंड 1.—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	—
भाग II—खंड 2.—विधेयक और विधेयकों सम्बन्धी प्रवर समितियों की रिपोर्ट	—
भाग II—खंड 3—उप-खंड (1)—(रक्षा मन्त्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मन्त्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारों द्वारा जारी किए गए विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं) . .	2769
भाग II—खंड 3.—उप-खंड (2)—(रक्षा मन्त्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मन्त्रालयों और (संघ-राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए आदेश और अधिसूचनाएं	5061
भाग II—खंड 4.—रक्षा मन्त्रालय द्वारा अधिसूचित विधिक नियम और आदेश	497
भाग III—खंड 1.—महालेखापरीक्षक, संघ लोक-सेवा आयोग, रेल प्रशासन, उच्च न्यायालयों और भारत सरकार के संलग्न तथा अधीन कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	1009
भाग III—खंड 2.—एकस्व कार्यालय, कलकत्ता द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं और नोटिसें	431
भाग III—खंड 3.—मुख्य आयुक्तों द्वारा या उनके प्राधिकार से जारी की गई अधिसूचनाएं	119
भाग III—खंड 4.—विधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिनमें अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिसें शामिल हैं	671
भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी संस्थाओं के विज्ञापन तथा नोटिसें ..	209
पूरक संख्या 46—	
9 नवम्बर 1968 को समाप्त होने वाले सप्ताह की महामारी सम्बन्धी साप्ताहिक रिपोर्ट	1895
19 अक्तूबर 1968 को समाप्त होने वाले सप्ताह के दौरान भारत में 30,000 तथा उससे अधिक आबादी के शहरों में जन्म, तथा बड़ी बिमारियों से हुई मृत्यु से सम्बन्धित आंकड़े	1907

	Page
PART I—SECTION 1.—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	755
PART I—SECTION 2.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave, etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	1285
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministry of Defence	—
PART I—SECTION 4.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave, etc. of Officers issued by the Ministry of Defence	1051
PART II—SECTION 1.—Acts, Ordinances and Regulations	—
PART II—SECTION 2.—Bills and Reports of Select Committees on Bills	—
PART II—SECTION 3.—SUB-SEC. (i)—General Statutory Rules, (including orders, bye-laws, etc., of general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)	2769
PART II—SECTION 3.—SUB-SEC. (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)	5061
PART II—SECTION 4.—Statutory Rules and Orders notified by the Ministry of Defence ..	497
PART III—SECTION 1.—Notifications issued by the Auditor General, Union Public Service Commission, Railway Administration, High Courts and the Attached and Subordinate Offices of the Government of India	1009
PART III—SECTION 2.—Notifications and Notices issued by the Patent Offices, Calcutta	431
PART III—SECTION 3.—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	119
PART III—SECTION 4.—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	671
PART IV—Advertisements and Notices by Private Individuals and Private Bodies ..	209
SUPPLEMENT NO. 46—	
Weekly Epidemiological Reports for week-ending 9 November 1968 ..	1895
Births and Deaths from Principal diseases in towns with a population of 30,000 and over in India during week-ending 19th October 1968.. ..	1907

भाग I—खंड 1

PART I—SECTION 1

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं

Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court

राष्ट्रपति सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 1 नवम्बर 1968

सं० 69-प्रेज/68—राष्ट्रपति मध्य प्रदेश पुलिस के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री प्रेम स्वरूप भटनागर,
पुलिस उप-अधीक्षक,
जिला मुरैना,
मध्य प्रदेश ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिये पदक प्रदान किया गया ।

14 जुलाई, 1967 को पुलिस को सूचना मिली कि डाकू प्रह्लाद सिंह और उसका गिरोह गोपालपुरा गांव के समीप खेतों में छिपा है । डाकू स्वचालित एवं .303 राइफलों से लैश थे । श्री प्रेम स्वरूप भटनागर की कमान में एक पुलिस दल डाकुओं का सफाया करने के लिये नियुक्त किया गया । श्री भटनागर की सुनिश्चित योजना और नेतृत्व के कारण, पुलिस दल उसी शाम को सात डाकुओं को मौत के घाट उतारने में सफल हुआ । शेष तीन डाकू गांव में छिप गये और पुलिस दल पर गोली चलाते रहे । डाकुओं द्वारा की जा रही गोलाबारी की परवाह न करते हुए श्री भटनागर ने, गांव का घेरा डालने के लिये, पुलिस दल का स्वयं नेतृत्व किया तथा रात भर कार्यवाही का स्वयं निरीक्षण करते रहे । अगली सुबह उनमें से दो डाकू स्थानीय निवासियों के वेश में गांव से बाहर निकले । पुलिस द्वारा ललकारे जाने पर उन्होंने वे चादरें फेंक दीं जिसे वे ओढ़े हुए थे और श्री भटनागर के दल पर गोली चला दी । किन्तु भटनगार विचलित नहीं हुए और उन्होंने पैंतरा बदल कर अपने आप को बचा लिया और आगे बढ़कर डाकुओं पर गोली चलाई ।

यह श्री प्रेम स्वरूप भटनागर का नेतृत्व, सुनिश्चित योजना, साहस तथा कर्त्तव्यनिष्ठा ही थी जिसके कारण पुलिस खतरनाक डाकू प्रह्लाद सिंह तथा उसके गिरोह का सफाया करने में सफल हुई ।

2. यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अन्तर्गत वीरता के लिये दिया जा रहा है ।

सं० 70-प्रेज/68—राष्ट्रपति मध्य प्रदेश पुलिस के निम्नांकित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिये पुलिस पदक प्रदान करते हैं :—

अधिकारियों के नाम तथा पद

श्री द्वारका प्रसाद श्रीवास्तव,
पुलिस निरीक्षक, सी० आई० डी०,
जिला मुरैना,
मध्य प्रदेश ।

श्री राजबीर सिंह,
पुलिस उप-निरीक्षक,
मुरैना, मध्य प्रदेश ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया ।

14 जुलाई, 1967 को पुलिस को सूचना मिली कि डाकू प्रह्लाद सिंह और उसका गिरोह गोपालपुरा गांव के समीप खेतों में छिपा है । डाकू स्वचालित एवं •303 राइफलों से लैश थे । डाकुओं का सफाया करने के लिये नियुक्त पुलिस दल में से दो दल रोकने के लिये और दो दल खदेड़ने के लिये बनाये गये । सर्वश्री द्वारका प्रसाद श्रीवास्तव और राजबीर सिंह उन दो रोकने वालों दलों की कमान सम्भाले हुए थे । रोकने वाले पहले दल से हुई मुठभेड़ में पुलिस द्वारा तीन डाकू मार दिये गये । शेष डाकुओं ने भागने का प्रयत्न किया । उनके इस प्रयास को विफल करने के लिये सर्वश्री श्रीवास्तव और राजबीर सिंह ने डाकुओं के बच निकलने के मार्ग को बन्द करने के लिये अपने सिपाहियों का स्वयं नेतृत्व किया । ऐसा करते हुए वे डाकुओं की गोलीबारी में आ गये । इस निर्भीक प्रयास द्वारा उन्होंने डाकुओं को घेरे में रखे रखा ।

किन्तु उनमें से तीन डाकू बच निकले और रात को गांव में छिपे रहे । प्रातः उनमें से दो डाकू स्थानीय निवासियों के वेश में आते दिखाई दिये । श्री श्रीवास्तव और श्री राजबीर सिंह दोनों ने उनको ललकारा । डाकुओं ने तत्काल अपनी चादरें फेंक दीं जो वे ओढ़े हुए थे और पुलिस दल पर गोली चला दी । सर्वश्री श्रीवास्तव और राजबीर सिंह ने भी जवाब में गोली चलाई और दोनों डाकुओं को मार डाला । तीसरे डाकू का भी पीछा किया गया और मार डाला गया ।

यह विशेषकर इन अधिकारियों के साहस और नेतृत्व का ही परिणाम था कि डाकुओं का बचकर भाग निकलना रोका जा सका और सम्पूर्ण गिरोह का सफाया हो सका ।

2. ये पदक पुलिस नियमावली के नियम 4 (i) के अन्तर्गत वीरता के लिये दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 14 जुलाई, 1967 से दिया जायेगा ।

सं० 71-प्रेज/68—राष्ट्रपति मध्य प्रदेश पुलिस के निम्नांकित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिये पुलिस पदक प्रदान करते हैं :—

अधिकारियों के नाम तथा पद

श्री बेंजामिन तालीम,
पुलिस आरक्षण निरीक्षक,
18वीं बटालियन,
विशेष सशस्त्र दल,
मध्य प्रदेश ।

श्री कन्हैया लाल,
प्लाटून कमाण्डर,
'सी' कम्पनी, 18वीं बटालियन,
विशेष सशस्त्र दल,
मध्य प्रदेश ।

श्री जसवन्त सिंह,
प्लाटून कमाण्डर,
'सी' कम्पनी, 18वीं बटालियन
विशेष सशस्त्र दल,
मध्य प्रदेश ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया ।

14 जुलाई, 1967 को पुलिस को सूचना मिली कि डाकू प्रह्लाद सिंह और उसका गिरोह गांव गोपालपुरा के समीप खेतों में छिपा है । डाकू स्वचालित एवं .303 राइफलों से लैश थे । जब पुलिस दल उनके छिपने के स्थान के समीप पहुंचा तो डाकुओं ने उन पर गोली चलाई और किनारे से बच निकलने का प्रयत्न किया । डाकुओं द्वारा की जा रही भारी गोलीबारी की परवाह न कर, सर्वश्री बेंजामिन तालीम, कन्हैया लाल और जसवन्त सिंह ने स्वयं अपने दलों का नेतृत्व किया और किनारों पर गोलीबारी की । भारी गोलीबारी के बावजूद भी इन अधिकारियों ने आगे बढ़ना जारी रखा और डाकुओं को फिर से झाड़ियों में शरण लेने के लिए बाध्य कर दिया । इस प्रकार सर्वश्री बेंजामिन तालीम, कन्हैया लाल और जसवन्त सिंह ने साहस, निर्भीकता, नेतृत्व तथा निष्ठा का परिचय दिया ।

2. ये पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (i) के अन्तर्गत वीरता के लिये दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 14 जुलाई, 1967 से दिया जायेगा ।

सं० 72/प्रेज/68—राष्ट्रपति मध्य प्रदेश पुलिस के निम्नांकित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिये राष्ट्रपति का पुलिस तथा अग्नि शमन सेवा पदक प्रदान करते हैं :—

अधिकारियों के नाम तथा पद

श्री कालू सिंह,
हैड कांस्टेबल सं० 207,
"सी" कम्पनी, 18वीं बटालियन,
विशेष सशस्त्र दल,
मुरैना, मध्य प्रदेश ।

श्री हरभजन सिंह,
कांस्टेबल सं० 632,
"सी" कम्पनी 18वीं बटालियन,
विशेष सशस्त्र दल,
मध्य प्रदेश ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया ।

14 जुलाई, 1967 को पुलिस को सूचना मिली कि डाकू प्रह्लाद सिंह और उसका गिरोह गोपालपुरा गांव के समीप खेतों में छिपा है । डाकू स्वचालित एवं .303 राइफलों से लैश थे । पुलिस दल में से दो दल रोकने के लिए और दो दल खदेड़ने के लिये बनाये गये । सर्वश्री कालू सिंह और हरभजन सिंह रोकने वाले दूसरे दल में हल्की मशीनगन चालक थे । डाकुओं की पहली झड़प रोकने वाले पहले दल से हुई और उस में तीन डाकुओं को गोली से उड़ा दिया गया । तब डाकू नेता प्रह्लाद सिंह और उसके सहायकों ने एक स्त्री को साथ लेकर पूर्व दिशा की ओर बच निकलने का प्रयास किया और वे पुलिस दल पर फिर भी गोलियां चलाते रहे । डाकुओं के बीच एक स्त्री की उपस्थिति के कारण पुलिस दल स्वतन्त्रतापूर्वक गोली न चला सका । डाकू गिरोह के नेता ने इस स्थिति से लाभ उठाने का प्रयत्न किया और अपना आक्रमण हल्की मशीनगन चालकों कालू सिंह और हरभजन सिंह पर केन्द्रित कर दिया जिससे वे समाप्त हो जायें । किन्तु श्री कालू सिंह और हरभजन सिंह, दोनों बड़ी सूझ-बूझ का परिचय देते हुए थोड़े अपनी बायीं और रेंगे और एक उपयुक्त स्थान प्राप्त कर उन्होंने गिरोह के नेता और उसके तीन साथियों को गोली से उड़ा दिया ।

इस मुठभेड़ में श्री कालू सिंह और श्री हरभजन सिंह दोनों ने उच्च साहस तथा सूझ-बूझ का परिचय दिया ।

2. ये पदक राष्ट्रपति के पुलिस तथा अग्नि शमन सेवा पदक नियमावली के नियम 4(i) के अन्तर्गत वीरता के लिये दिये जा रहे हैं, तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 14 जुलाई, 1967 से दिया जायेगा ।

सं० 73-प्रेज/68—राष्ट्रपति मध्य प्रदेश पुलिस के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस तथा अग्नि शमन सेवा पदक प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री शिवमंगल सिंह,
कांस्टेबल सं० 558,
"ई" कम्पनी, 8वीं बटालियन,
विशेष सशस्त्र दल,
छिन्दवाड़ा,
मध्य प्रदेश ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया ।

14 जुलाई, 1967 को पुलिस को सूचना मिली कि डाकू प्रह्लाद सिंह और उसका गिरोह गांव गोपालपुरा के निकट खेतों में छिपा है । डाकू स्वचालित एवं .303 राइफलों से लैश थे । पुलिस दल में से दो दल रोकने के लिए और दो दल खदेड़ने के लिये बनाये गये । श्री शिवमंगल सिंह, रोकने वाले पहले दल में हल्की मशीनगन चालक थे । आगे बढ़ते हुए, डाकुओं को पुलिस दल की उपस्थिति का पता उस समय लगा जब वे उससे केवल 100 गज की दूरी पर रह गये । उन्होंने उसे नष्ट करने का प्रयत्न किया । यद्यपि श्री शिवमंगल सिंह खुले में थे, फिर भी वे जमे रहे और उन्होंने अपनी हल्की मशीनगन चलानी आरम्भ कर दी । डाकुओं के एक दल ने अपनी गोलीबारी श्री शिवमंगल सिंह पर केन्द्रित कर दी किन्तु वे शान्त रहे तथा उन्होंने अपने निपुण संचालन से डाकुओं के कार्य को विफल कर दिया । उन्होंने अपने सही गोलीबारी से तीन डाकुओं को मौत के घाट उतार दिया ।

इस प्रकार श्री शिवमंगल सिंह ने विशिष्ट साहस, पहल और कर्तव्यनिष्ठा का प्रदर्शन किया ।

2. यह पदक राष्ट्रपति के पुलिस तथा अग्नि शमन सेवा पदक नियमावली के नियम 4 (i) के अन्तर्गत वीरता के लिये दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 14 जुलाई, 1967 से दिया जायेगा ।

नागेन्द्र सिंह, राष्ट्रपति के सचिव

शिक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 24 अक्तूबर 1968

सं० एफ० 5(3)/67-एस० आर०-I—भारत के राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम की संस्था के अन्तर्नियमों के अनुच्छेद 89(iii) के उपबन्धों के अन्तर्गत, राष्ट्रपति वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के संयुक्त सचिव, श्री एम० एस० नादकर्नी को श्री एम० एस० सुन्दरा के स्थान पर निगम के निर्देशक के रूप में सहर्ष नियुक्त करते हैं ।

एच० के० एल० चड्ढा, अवर सचिव

केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड

संकल्प में संशोधन

नई दिल्ली, दिनांक अक्टूबर 1968

सं० एफ०-23-2/67 आई० यू०—राष्ट्रपति, केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड के सम्बन्ध में और समय-समय पर संशोधित भारत सरकार (भूतपूर्व शिक्षा, स्वास्थ्य और भूमि विभाग) के संकल्प संख्या एफ० 122-3/35-ई०, दिनांक 8 अगस्त, 1935 का आंशिक संशोधन करते हुए, सहर्ष, आदेश देते हैं कि बोर्ड की संरचना से सम्बन्धित उक्त संकल्प के पैराग्राफ 3 के वर्तमान उप-पैराग्राफ 2(1) के स्थान पर निम्नलिखित जोड़ दिया जाए:—

"(i) प्रत्येक राज्य सरकार और प्रत्येक ऐसे संघीय क्षेत्र जहां चुना हुआ विधान हो, (शिक्षा का कार्यभारी मंत्री) और दिल्ली प्रशासन (शिक्षा का कार्यभारी कार्यकारी परिषद्) का एक-एक प्रतिनिधि ।"

आदेश

आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक-एक प्रति केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड के सभी सदस्यों, लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय, भारत के अन्तर-विश्वविद्यालय बोर्ड, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्, भारतीय कृषि अनुसंधान

परिषद्, भारत की चिकित्सा परिषद्, महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवा, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अखिल भारतीय खेल परिषद्, राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद्, सभी राज्य सरकारों और संघीय क्षेत्रों (शिक्षा विभाग) को भेज दी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि सर्वसाधारण की सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित करने के लिए संकल्प की प्रति प्रबन्धक, भारत सरकार प्रेस, फरीदाबाद को भेज दी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक-एक प्रति शिक्षा मंत्रालय के सभी प्रभाग अध्यक्षों को सूचनार्थ भेज दी जाए।

दिनांक अक्तूबर 1968

सं० एफ० 23-2/67-आई० यू०—श्री के० पी० सुब्रमण्य मैनन, संसद् सदस्य को राज्य सभा द्वारा 31 मार्च, 1970 तक केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड के एक सदस्य के रूप में चुना गया है।

2. उत्कल विश्वविद्यालय के कुलपति डा० एस० मिश्र तथा फफूंद विज्ञान तथा पौधा रोगनिदानशास्त्र में उच्च अध्ययन केन्द्र, मद्रास के निदेशक प्रो० टी० एस० सदाशिवन को भारत सरकार द्वारा क्रमशः डा० मोहन सिन्हा मेहता और डा० विक्रम ए० साराभाई के स्थान पर 31 मार्च, 1970 तक केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड के सदस्य के रूप में नामजद किया गया है।

3. श्री के० सी० चाको और प्रो० पी० जे० मदान को, श्री एस० राजा रमन और श्री जी० वी० सप्रे के स्थान पर अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् के प्रतिनिधि के रूप में 31 मार्च, 1970 तक केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड के सदस्य नामजद किया गया है।

4. डा० आर० एम० कासलीवाल को, डा० सी० ओ० करुणाकरन के स्थान पर भारतीय भेषज परिषद् द्वारा 31 मार्च, 1970 तक केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड के एक सदस्य के रूप में नामजद किया गया है।

5. रिअर एडमिरल आर० एन० बक्षी, भारतीय जल सेवा को भारत सरकार द्वारा 31 मार्च, 1970 तक केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड के एक सदस्य के रूप में नामजद किया गया है।

जे० पी० नायक, सलाहकार

सिंचाई व बिजली मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 6 नवम्बर 1968

संकल्प

सं० ई० एल० 2-35(10)/63—संकल्प सं० ई० एल०-2 35(10)/63, दिनांक 5 सितम्बर, 1964 और सं० ई० एल०-2 35(10)/63, दिनांक 9 मई, 1968 द्वारा संशोधित, इस मंत्रालय के संकल्प सं० ई० एल०-2-35(10)/63 दिनांक 12 मार्च, 1964 में निम्नलिखित परिवर्तन कर लिये जाएं :—

(1) पैरा 2 के वर्तमान अन्तिम वाक्य, अर्थात, 'उपर्युक्त सदस्य बारी-बारी से वर्णक्रम में एक-एक वर्ष की अवधि के लिए क्षेत्रीय बिजली बोर्ड के अध्यक्ष होंगे'। **के स्थान पर** निम्नलिखित वाक्य रख दिया जाए :— 'जो मन्त्री (उपमंत्री समेत) बोर्ड के सदस्य हैं, वे बारी-बारी से वर्ण क्रम में एक-एक वर्ष की अवधि के लिए बोर्ड के अध्यक्ष होंगे'।

(2) इस मन्त्रालय के संकल्प सं० ई० एल०-2-35(10)/63 दिनांकित 9 मई, 1968 में, संकल्प सं० ई० एल०-2-35(10)/63 की तारीख को 5 मार्च, 1964 **स्थान पर** 5 सितम्बर, 1964 पढ़ा जाये।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प असम, नागालैंड, त्रिपुरा, नेफा और मणिपुर अध्यक्ष, असम राज्य बिजली बोर्ड, शिलांग, भारत सरकार के मंत्रालयों, प्रधान मंत्री सचिवालय राष्ट्रपति के सचिव, योजना आयोग और भारत के नियंत्रक तथा महालेखा-परीक्षक को भेज दिया जाये।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को आम जानकारी के लिए भारत के राजपत्र के में प्रकाशित कर दिया जाये।

के० पी० मथानी, सचिव

PRESIDENT'S SECRETARIAT

New Delhi, the 1st November 1968

No. 69-Pres./68.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Madhya Pradesh Police :—

Name of the officer and rank

Shri Prem Swarup Bhatnagar,
Deputy Superintendent of Police,
District Morena,
Madhya Pradesh.

Statement of services for which the decoration has been awarded.

On the 14th July, 1967, information was received by the police that dacoit Prahlad Singh and his gang were hiding in the fields near village Gopalpura. The dacoits were armed with automatic and .303 rifles. A police party under the command of Shri Prem Swarup Bhatnagar was deputed to liquidate the dacoits. As a result of the careful planning and leadership of Shri Bhatnagar the police party was successful in killing seven dacoits by the same evening. The remaining three dacoits then hid themselves in the village and continued firing on the police party. Unmindful of the firing by the dacoits, Shri Bhatnagar personally led the forces in order to cordon off the village and himself supervised the operations throughout the night. Next morning, two of these dacoits came out of the village in the garb of local people. On being challenged by the police party, they threw off the 'chadars' which they were wearing and fired at Shri Bhatnagar's party. But Shri Bhatnagar remained unnerved and warded off the attack by ducking in and then forged ahead to shoot the dacoits.

It was because of the leadership, careful planning, courage and devotion to duty of Shri Prem Swarup Bhatnagar that the police were able to liquidate the dangerous dacoit Prahlad Singh and his gang.

2. This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the Police Medal.

No. 70-Pres./68.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officers of the Madhya Pradesh Police :—

Names of the officers and ranks

Shri Dwarka Prasad Shrivastava,
Inspector of Police,
Criminal Investigation Department,
District Morena,
Madhya Pradesh.

Shri Rajbir Singh,
Sub-Inspector of Police,
District Morena,
Madhya Pradesh.

Statement of services for which the decoration has been awarded.

On the 14th July, 1967, information was received by the police authorities that dacoit Prahlad Singh and his gang were hiding in the fields near village Gopalpura. The dacoits were armed with automatic and .303 rifles. The police party deputed to liquidate the gang of dacoits was divided into two stop parties and two driving parties. Sarvashri D. P. Shrivastava and Rajbir Singh commanded the two stop parties. In the first encounter with stop party No. 1, three dacoits were killed by the police. The remaining dacoits tried to escape. In order to foil their attempt Sarvashri Shrivastava and Rajbir Singh personally led their men in order to close the route of escape of the dacoits. In this manoeuvre they came under fire from the dacoits. By this bold initiative, they contained the dacoits within the cordon.

But three of the dacoits escaped and hid themselves in the village during the night. In the morning two of them were seen coming in the garb of local people. Shri Shrivastava and Shri Rajbir Singh challenged them. The dacoits immediately threw off their 'chadars' and fired at the police party. Sarvashri Shrivastava and Rajbir Singh returned the fire and killed both of them. The third dacoit was also chased and killed.

It was largely due to the courage and initiative of these officers that the escape of the dacoits was checked and the entire gang liquidated.

2. These awards are made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently carry with them the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 14th July, 1967.

No. 71-Pres./68.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officers of the Madhya Pradesh Police :—

Name of Officers and ranks

Shri Benjamin Talim,
Reserve Inspector of Police,
18th Battalion,
Special Armed Force,
Madhya Pradesh.

Shri Kanahiyalal,
Platoon Commander,
'C' Company, 18th Battalion,
Special Armed Force,
Madhya Pradesh.

Shri Jaswant Singh,
Platoon Commander,
'C' Company, 18th Battalion,
Special Armed Force,
Madhya Pradesh.

Statement of services for which the decoration has been awarded.

On the 14th July, 1967, information was received by the police that dacoit Prahlad Singh and his gang were hiding in the fields near village Gopalpura. The dacoits were armed with automatic and .303 rifles. When the police party approached their hiding place, the dacoits opened up fire on them and tried to escape from the flanks. Unmindful of the heavy fire opened by the dacoits, Sarvashri Talim, Kanahiyalal and Jaswant Singh personally, led their forces and opened fire at the flanks. In spite of heavy fire, these officers kept closing in and forced the dacoits to take shelter again in the bushes. Thus Sarvashri Talim, Kanahiyalal and Jaswant Singh exhibited courage, boldness leadership and devotion.

2. These awards are made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently carry with them the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 14th July, 1967.

No. 72-Pres./68.—The President is pleased to award the President's Police and Fire Services Medal for gallantry to the undermentioned officers of the Madhya Pradesh Police :—

Names of the officers and ranks

Shri Kalu Singh,
Head Constable No. 207,
'C' Company, 18th Battalion,
Special Armed Force,
Morena,
Madhya Pradesh.

Shri Harbhajan Singh,
Constable No. 632,
'C' Company, 18th Battalion,
Special Armed Force,
Madhya Pradesh.

Statement of services for which the decoration has been awarded.

On the 14th July, 1967, information was received by the Police that dacoit Prahlad Singh and his gang were hiding in the fields near village Gopalpura. The dacoits were armed with automatic and .303 rifles. The police party was divided into two stop parties and two driving parties. Sarvashri Kalu Singh and Harbhajan Singh were LMG gunners in stop party No. 2. The dacoits had their first entanglement with stop party No. 1 and three of them were shot dead in that encounter. Then the dacoit leader Prahlad Singh and his lieutenants attempted to escape towards the east taking a woman with them They however, continued to fire on the police party. Because of the presence of a woman amongst the dacoits, the police party could not fire freely. The gang leader tried to take advantage of this situation and concentrated his attack on the LMG gunners Kalu Singh and Harbhajan Singh in order to knock them out. But both Shri Kalu Singh and Harbhajan Singh showed great presence of mind, crawled slightly to their left and after taking a suitable position they shot dead the leader of the gang and his three colleagues.

In the encounter, both Shri Kalu Singh and Harbhajan Singh showed great courage and presence of mind.

2. These awards are made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the President's Police and Fire Services Medal and consequently carry with them the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 14th July, 1967.

No. 73-Pres./68.—The President is pleased to award the President's Police and Fire Services Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Madhya Pradesh Police :—

Name of the officer and rank

Shri Shivmangal Singh,
Constable No. 558,
'E' Company, 8th Battalion,
Special Armed Force,
Chhindwara,
Madhya Pradesh.

Statement of services for which the decoration has been awarded.

On the 14th July, 1967, information was received by the police that dacoit Prahlad Singh and his gang were hiding in the fields near village Gopalpura. The dacoits were armed with automatic and .303 rifles. The police party was divided into two stop parties and two driving parties. Shri Shivmangal Singh was LMG gunner in stop party No. 1. While advancing, the dacoits came to know about the presence of the police party only when they were at a distance of about 100 yards from them. They tried to over-run it. Though Shri Shivmangal was in the open, he held his ground and brought his LMG into action. One party of the dacoits concentrated their fire on Shri Shivmangal Singh but he remained calm and with dexterous movements, made the action of the dacoits infructuous. With his precise firing, he killed three dacoits.

Thus Shri Shivmangal Singh exhibited conspicuous courage, initiative and devotion to duty.

2. This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the President's Police and Fire Services Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 14th July, 1967.

NAGENDRA SINGH, Secy. to the President

MINISTRY OF COMMERCE

New Delhi, the 28th October 1968

RESOLUTION

No. 1/9/68-*HC*.—In partial modification of this Ministry's Resolution No. 1/9/68-HC, dated the 7th June, 1968, the Government of India have appointed Shri T. P. Singh, Additional Secretary, Ministry of Commerce, as Member of the Committee set up to review the work of the All India Handicrafts Board, All India Handloom Board, Handicrafts and Handlooms Exports Corporation, Gem and Jewellery Export Promotion Council and Central Cottage Industries Emporium, etc. in place of Shri B. N. Banerji, until further orders.

ORDER

ORDERED that a copy of the resolution be communicated to all concerned and that it be published in the Gazette of India.

P. SITARAMAN, Dy. Secy.

MINISTRY OF EDUCATION

Central Advisory Board of Education

AMENDMENT TO RESOLUTION

New Delhi, the October 1968

No. F. 23-2/67.*IU*.—In partial modification of the Government of India (late Education, Health and Lands Department) Resolution No. F.122-3/35-E, dated the 8th August, 1935 as amended from time to time, regarding the Central Advisory Board of Education, the President is pleased to order that the following may be substituted against the existing sub-para 2(i) of para 3 of the above Resolution relating to the constitution of the Board :—

"(i) One representative of each State Government and each such Union Territory as has an elected Legislature (the Minister in charge of education) and of the Delhi Administration (the Executive Councillor in charge of Education)".

ORDER

ORDERED that copies of the Resolution may be circulated to all members of the Central Advisory Board of Education, Lok Sabha Secretariat, Rajya Sabha Secretariat, Inter University Board of India, All India Council for Technical Education, Indian Council of Agricultural Research, Medical Council of India, Director General of Health Services, University Grants Commission, All India Council of Sports, National Council for Women's Education, All State Governments and Union Territories (Education Departments).

ORDERED also that a copy of the Resolution be forwarded to the Manager, Government of India, Press, Faridabad, for publication in the Gazette of India for general information.

ORDERED also that copies may be forwarded to all Divisional Heads in the Ministry of Education for information.

The October 1968

No. F. 23/2/67 *I.U.*—Shri K. P. Subramania Menon, MP., has been elected by the Rajya Sabha to be a member of the Central Advisory Board of Education up to 31st March, 1970.

2. Dr. S. Misra, Vice-Chancellor, Utkal University and Prof. T. S. Sadasivan Director, Centre for Advanced Studies in Mycology and Plant Pathology, Madras, have been nominated by the Government of India as members of the Central Advisory Board of Education *vice* Dr. Mohan Sinha Mehta and Dr. Vikram A. Sarabhai respectively, up to 31st March, 1970.

3. Shri K. C. Chacko and Prof. P. J. Madan have been nominated as representatives of the All India Council for Technical Education on the Central Advisory Board of Education *vice* Shri S. Raja Raman and Shri G. V. Sapre, up to 31st March, 1970.

4. Dr. R. M. Kasliwal has been nominated by the Medical Council of India as a member of the Central Advisory Board of Education *vice* Dr. C. O. Karunakaran, up to 31st March, 1970.

5. Rear Admiral R. N. Batra, I. N. has been nominated by the Government of India as a member of the Central Advisory Board of Education up to 31st March, 1970.

J. P. NAIK, *Adviser*

MINISTRY OF TRANSPORT AND SHIPPING

(Transport Wing)

New Delhi, the 31st October 1968

RESOLUTION

No. 28-*MT*(5)/67.—The Central Government is pleased to make the following amendment to the Ministry of Transport and Shipping Resolution No. 28-MT(5)/67, dated the 28th July, 1967 :—

(i) *For* the entry 'Shri A. B. Chandiramani, Joint Educational Adviser (Technical), Ministry of Education, New Delhi' appearing against serial No. 11, the entry 'Shri K. N. Sundram, Deputy Educational Adviser to the Government of India, Ministry of Education, Bombay' shall be *substituted*;

(ii) *For* the name 'Capt. D. Houghtone' appearing against serial No. 18, the name 'Capt. P. S. Lucas' shall be *substituted*.

ORDER

ORDERED that a copy of this Resolution be communicated to all the Ministries of the Government of India, the State Governments, the Port Trusts and the Director General of Shipping, Bombay.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

R. DORAISWAMY, Jt. Secy.

MINISTRY OF IRRIGATION AND POWER

New Delhi, the 6th November 1968

RESOLUTION

No. EL.II-35(10)/63.—The changes indicated here-under may please be made in this Ministry's Resolution No. EL.II-35(10)/63, dated the 12th March, 1964 as amended by Resolution No. EL-II-35(10)/63, dated the 5th September, 1964 and No. EL-II-35(10)/63, dated the 9th May, 1968 :—

(1) "*For* the existing last sentence in para 2, namely 'The aforesaid members will be the Chairmen of the Regional Electricity Board, by rotation in alphabetical order, for one year each.'

the following may be *substituted*—

'The Ministers (including Dy. Minister) who are members of the Board will be the Chairman of the Board by rotation in alphabetical order, for one year each'".

(2) In this Ministry's Resolution No. EL-II-35(10)/63, dated the 9th May, 1968 the date of Resolution No. EL. II-35(10)/63 may be *read* as 5th September, 1964 *instead* of 5th March, 1964.

ORDER

ORDERED that the Resolution be communicated to the Governments of Assam, Nagaland, Tripura, NEFA and Manipur, Chairman, Assam State Electricity Board, Shillong, the Ministries of the Government of India, Prime Minister's Secretariat, Secretary to the President, the Planning Commission and the Comptroller and Auditor General of India.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

K. P. MATHRANI, Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD
AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1968